अध्याय –21

केन्द्रीय विधान मण्डल (अनु 79– 122)

संसद (Parliament)

संसद का गठन –

भारतीस संविधान के अनु0 79 के अनुसार भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्सभा तथा लोकसभा से मिलकर होता है। यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नही होता है, किन्तु वह संसद का एक अभिन्न अंग है तथा वह संसद की कार्यवाहियो में भाग लेता है। वह संसद के सत्र को आहुत करता है, उसे स्थागित कर सकता है, और लोकसभा को विद्यटित कर सकता है। राष्ट्रपति ही संसद द्वारा पारित सभी विधेयको पर अनुमति देता है।

राज्यसभा की संरचना–

भारतीय संविधान के अनु0 80 में राज्य सभा के बारे मे बताया गया है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है इनमें से 238 सदस्य राज्यों से तथा संघ क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नांमाकित होते है जो साहित्य, कला , विज्ञान तथा सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान व वास्तविक अनुभव रखते है। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन विधान सभाओं (राज्य की) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संकमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों में सीटो का आवंटन संविधान की चतुर्थ अनुसूची द्वारा नियत किया गया है, जो इस प्रकार है–

आन्ध्र प्रदेश – 11

तेलंगाना – 07

असम – 07

बिहार – 16

झारखण्ड – 06

गोवा – 01

गुजरात – 11

केरल – 09

मध्य प्रदेश – 11

छत्तीसगढ़ –05

तमिलनाडु – 18

महाराष्ट्र – 19

कर्नाटक – 12

उड़ीसा –10

हरियाणा – 05

पंजाब – 07

राजस्थान – 10

उत्तर प्रदेश – 31

उत्तरा खण्ड – 03

पश्चिमी बंगाल – 16

जम्मू तथा कश्मीर – 04

नागालैंड – 01

हिमाचल प्रदेश – 03

मणिपुर – 01

त्रिपुरा – 01

मेघालय – 01

सिक्किम – 01

मिजोरम – 01

अरूणाचल प्रदेश – 01

दिल्ली – 03

पांडिचेरी – 01

कुल – 233

12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नांमाकित किये जाते है, सीटो का आवण्टन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

राज्य सभा एक स्थायी सदन है। इसका विघटन नही होता है। किन्तु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की सम्पत्ति पर निवृत्त हो जाते है। अनु0 – 83 (1) इस रीति के अनुसार एक सदस्य 6 वर्षो तक राज्यसभा का सदस्य रहता है।

<u>लोकसभा की संरचना –</u>

लोकसभा जनता की सभा है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वचन द्वारा चुने जाते है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है जिनमें से – (1) 530 सदस्य राज्यों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचित होगें; (2) 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, इसके अतिरिक्त, यदि राष्ट्रपति की राय में लोक सभा में ऐंग्लो – इण्डियन समाज का प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व नही है तो वह अनु0 331 के अधीन ऐंग्लो इण्डियन समाज के दो सदस्यों को नामाकिंत कर सकता है। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष नागरिक को, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और जो अनिवास,

चित्र–विकृति या अपराध या भष्ट्राचार के आधार पर अयोग्य नही कर दिया गया है, लोक सभा के सदस्यों के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है।

लोकसभा में 20 जनवरी, सन् 1976 में किये गये निर्वाचन सीमा– निर्धारण के अनुसार प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य–क्षेत्रों के लिये सीटों का आवंटन इस प्रकार है –

आन्ध्र प्रदेश – 42	मणिपुर – 02	असम – 14	मेघालय – 02
बिहार – 54	नागालैण्ड – 01	गुजरात –26	उड़ीसा – 21
हरियाणा – 10	पंजाब– 13	हिमाचल प्रदेश–04,	राजस्थान – 25
जम्मू एंव कश्मीर – 06	सिक्किम –01	कर्नाटक– 28	तमिलनाडु–39
केरल–20	त्रिपुरा –02	मध्य प्रदेश–40	उत्तर प्रदेश–85
महाराष्ट्– 48	पश्चिम बंगाल–49,	अरूणाचल प्रदेश–02	मिजोरम–01
गोवा–01			

<u>संघ राज्य क्षेत्र–</u> अण्डमान निकोबार द्वीप समूह–01, चण्डीगढ़– 01,

दादर और नगर हवेली–01,	दिल्ली– 07	गोआ,डामन और ड्यू– 01,
लक्षद्वीप– 01	पाडिचेरी –01	और ऐंग्लो इण्डियन – 02

कुल

<u>लोकसभा की अवधि –</u>

लोक सभा, यदि पहले ही विघटिन न कर दी जाय तो अपने प्रथम अधिवेशन की अवधि(तारिख) से 5 वर्ष तक चालू रहेगी। राष्ट्रपति इस अवधि के पहले भी उसे विघटित कर सकता है। परन्तु उस अवधि को जब आपात–उद्घोषणा प्रवर्तन में है, संसद् विधि द्वारा एक वर्ष के लिये बढ़ा सकती है। इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि किसी अवस्था मे भी आपात उद्घोषणा के समाप्त हो जाने के पश्चात् छः माह से अधिक न होगी।

<u>संसद के सदस्यों की अर्हताऍ –</u>

अनु0 84 के अनुसार, संसद की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएँ रखनी आवश्यक है–

क) वह भारत का नागरिक हो;

ख) राज्यसभा के सदस्य के लिये कम से कम 30 वर्ष की आयु का तथा लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है;

ग) निर्वाचन– आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची मे इस प्रयोजन के लिए दिये हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ ले लिया हो;

घ) वह ऐसी अन्य अर्हताएँ रखता हो जो इस सम्बन्ध में संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा विहित की जाएँ। उदाहरण के लिये, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पृंजीकृत होना चाहिये।

सदस्यों की निरर्हताएँ –

अनु0 102 के अनुसार, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य चुने जाने या सदस्य बने रहने योग्य न होगा, यदि वह निम्नलिखित निरर्हताएँ रखता है–

क) यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है;

ख) यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा द्योषित विक्त्त चित्त है;

ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

घ) यदि वह भारत का नागरिक नही है या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लिया है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को स्वीकार कर लेता है।

ड.) यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निरर्ह द्योषित कर दिया जाता है। संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधि0 1951 पारित करके संसद् की अर्हता ओर निरर्हता को विहित किया है।

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता –

52 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा अनु0 102 में एक नया खण्ड 2 जोड़ा गया है जो यह उपबंधित करता है कि किसी संसद का सदस्य या विधान सभा सदस्य की सदन की सदस्यता दसवी अनुसूची मे उल्लेखित आधारों पर समाप्त हो जायेगी। दसवीं अनुसूची के अनुसार , संसद और विधान सभाओं के सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, की सदस्यता निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो जायेगी–

01. यदि वह उस राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है जिस पर सदन में निर्वाचित हुआ है, या
02. यदि वह अपने दल या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पूर्व अनुमति के बिना सदन में मतदान करता है या नही करता है जिसे 15 दिन के भीतर माफ नही कर दिया गया है, या
03. यदि कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, या
04. यदि कोई नामाकित सदस्य शपथ लेने की तारिख से 06 माह के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

एम0पी0 सिंह बनाम चेयरमैन, बिहार विधान परिषद 2005 के मामले में पिटीशनर भारतीय कांग्रेस प्रार्टी के अभ्यार्थी के रूप में बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ा था। बाद में वह एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में संसदीय चुनाव लड़ा। विधान परिषद के सभापति ने यह निर्णय दिया कि उसने स्वेच्छा से क्रांगेस की सदस्यता छोड़ दी थी अतः दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ए) के अधीन विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निरर्ह है और उसका पद रिक्त हो गया है। उसने बिहार विधान परिषद के सभापति के निर्णय को इस आधार पर चुनौती दिया कि वह अभी भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य था क्योंकि उसने पार्टी से त्यागपत्र नही दिया था। न्या0 ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधान परिषद के सभापति का निर्णय विधिमान्य है। कांग्रेस विधानमण्डल के नेता द्वारा उसे इस बात की सूचना पत्र द्वारा देना आवश्यक नही है। पार्टी से त्यागपत्र देना भी आवश्यक नही है। स्वेच्छा से दल परिवर्तन किसी सदस्य के आचरण से भी परिलक्षित हो सकता है।

जया बच्चन बनाम भारत संघ 2006 राज्य सभा सदस्या जय बच्चन को राज्य सभा सदस्यता से इस आधार पर निरर्ह घ्रोषित किया जा रहा था कि वे उत्तर प्रदेश फिल्म

निगम की अध्यक्ष के रूप में लाभ का पद धारण करती थी। उच्चतम न्या0 ने उनके इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि सरकार ने उन्हे उपर्युक्त पद पर मिलने वाली सूविधाएँ प्रदान की थी किन्तु उन्होंने इसका उपयोग नही किया था और यह अभिनिर्धारित किया कि उनका पद लाभ का पद था क्योंकि वह स्थायी पद था और उसकों धारण करने वाला उसमे कोई रूप से उसमे कुछ लाभ पा सकता था। वास्तविक लाभ (धन सम्बन्धी लाभ) पाना आवश्यक नहीं है।

संसद व राज्य विधान मण्डल के विशेषाधिकार –

संसदीय विशेषाधिकार वे विशिष्ट अधिकार है, जो संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से तथा सदन के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त है, जिनके अभाव में वे अपन कार्यो का निर्वाह नही कर सकते है।

संसद और राज्य के विधानमण्डलों को एक ही समान विशेषाधिकार होते है। अनु0 105 संसद को तथा अनु0 194 राज्य के विधानमण्डल को विशेषाधिकार प्रकार करते है–

1) भाषण की स्वतंत्रता और

2) कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार । जहॉ तक अन्य विशेष अधिकारों की बात है, अनु0 105(3) यह उपन्धित करता था कि अन्य बातों मे संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियॉ, विशेषधिकार और उन्नमुक्तियॉ ऐसी होगी जो 44 वें संविधान संशोधन, 1978 के लागू होने के पूर्व उस सदन को तथा उसके सदस्यों को प्राप्त थें।

भाषण की स्वतंत्रता –

इग्लैण्ड मे यह विशेषधिकारा सन् 1629 में ही स्थापित हो चुका था 1679 मे बिल आफ राइट्स पारित करके इसे पूर्ण संविधानिक संरक्षण प्रदान कर दिया गया , जो यह उपबन्धित करता है कि संसद् में दिये गये वक्तवयों या भाषण का किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है।

भारतीय संविधान का अनु0 105 इस विशेषाधिकार की गारण्टी करता है। अनु0 105 यह कहता है कि ''इस संविधान के उपबन्धों के तथा संसद की प्रक्रिया के विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुये संसद मे वाक्

स्वतंत्रतय(बोलने की स्वतंत्रता) का अधिकार होगा। अनु0 105 का खण्ड (2) यह उपबंधित करता है कि ‘‘ संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी मत के पक्ष में या उसके विरूद्ध किसी न्या0 में कोई कार्यवाही नही की जाये जायेगी; और किसी व्यक्ति के विरूद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेद मतों, पत्र या कार्यवाही नही की जायेगी।

इस अनु0 का संरक्षण केवल उन बातों के लिये है जो संसद के भीतर कही जाती है। सदन के बाहर सदन का कोई भी सदस्य एक साधारण नागरिक के रूप में है और यदि वह सदन मे दिये गये किसी मानहानिकारी वाक्य को दोहरता है या प्रकाशित करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अर्न्तगत मानहानि के अपराध के लिये दण्डित किया जायेगा।

2. सदन की कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार–

अनु0 105(2) यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध संसद के किसी सदन के अधिकारी के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के सम्बंध मे न्या0 में कोई कार्यवाही न चल सकेगी। भारतीय विधान मण्डलों को यह अधिकार प्राप्त है कि सदन किसी कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार दे सकता और उसे रोक भी सकता है।

सुरेन्द्र बनाम नावाकृष्ण 1958 में एक समाचार पत्र के सम्पादक ने सदन के प्राधिकार के बिना सदन में दिये गये कथन को प्रकाशित किया जो उच्च न्यायालय का अवमान करता था। न्या0 ने उसे अवमान के अपराध का दोषी बनाया।

वस्तुतः अब स्थिति इसके विपरीत है क्योंकि उपरोक्त स्थिति सन्तोषजनक नही थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कि लोकतंत्र में जनता को संसदीय कार्यवहियॉ जानने का अधिकार है संसद ने–

संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधि0, 1977 पारित किया। इस अधि0 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध, जो संसद के किसी सदन की कार्यवाहियो की सारतः सही रिर्पोट प्रकाशित करता है; किसी भी न्यायालय मे कोई भी सिविल या दण्डिक कार्यवाही नही की जायेगी, जब तक यह न साबित हो जाए कि प्रकाशन दुर्भावना के उद्देश्य से किया गया है।

अन्य विशेषधिकार

मूल अनु 105 में अन्य विशेषधिकारी के विषय में यह उपबंधित था कि वे ऐसे होंगे जो संविधान लागू होने के दिन ब्रिटिश संसद के सदस्यों को प्राप्त थे। 42 वें संविधान संशोधन अधि0 1976 द्वारा अनु0 105 के खण्ड (3) में संशोधन कर दिया गया है अब यह उपबंधित करता है कि अन्य नातो में संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियो, विशेषधिकार और उन्नमुक्तियॉ ऐसे होगी जो संसद, समय–समय पर विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार निश्चित नही की जाती है तब तक वही होंगी जो संविधान के 44 वें संशोधन अधिनियम,1978 के लागू होने से ठीक पहले उस सदन और उसके सदस्यो और समितियों को प्राप्त थी।

44 वें संशोधन अधि0 1978 के लागू होने के पूर्व भारत में विधानमण्डलों तथा उसके सदस्यों को निम्न–लिखित अधिकार प्राप्त थे :–

1) गिरफतारी से स्वतंत्रता –

इंग्लैण्ड में एक सुस्थापित विशेष अधिकार है कि संसद का कोई भी सदस्य संसद के सत्र काल में और उसके प्रारम्भ होने के 40 दिन पूर्व तथा उसके समाप्त होने के 40 दिन के पश्चात् तक गिरफतार या कारावासित नही किया जा सकता है। यदि कोई सदस्य उक्त स्थितियों में गिरफतार किया गया है तो उसे मुक्त कर दिया जायेगा। यह संरक्षण इसलिए प्राप्त है जिसमें संसद का प्रत्येक सदस्य संसद की कार्यवाहीयों में भाग ले सके। किन्तु यह विशेषाधिकार केवल सिविल मामलो मे गिरफतारी या कारावास के विरूद्ध प्राप्त है । यह संरक्षण आपराधिक आरोप, न्या आवमान, निवारक निरोध विधियों के विरूद्ध उपलब्ध नही है।

02. **गुप्त सत्र चलाने का अधिकार** – ऐसे सत्र तब किये जाते है जब कोई अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाती है। द्वितीय विश्वयुद्ध– काल में इंग्लैण्ड में इस प्रकार के गुप्त सत्र किये गये थे। भारतीय संसद को भी यह अधिकार प्राप्त है। आधुनिक काल में इस प्रकार के सत्र केवल आपवादिक अवसरों पर होते है।

03). कार्यवाहियों के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार–

इंग्लैण्ड में हाउस ऑफ कॉमन्स को अपनी कार्यवाहियों के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार प्राप्त है। भारती विधानमण्डलों को भी यह अधिकार प्राप्त है।

4). कार्यवाहियों का विनियमन–

संसद को अपनी कार्यवाहियों के विनियमन और उससे सम्बंधित सभी बातों पर उचित व्यवस्था देने का अधिकार है। इन मामलो मे न्यायालय को कोई अधिकारा नही प्राप्त है।

एम0एस0एम0 शर्मा बनाम श्रीकृष्णा सिन्हा (1959) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि संसद् की कार्यवाहियों की विधिमान्यता पर इस आधार पर कोई आपत्ति नही की जा सकती है कि विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कठोरता से पालन नही किया गया है।

5. सदन के अवमान के लिए दण्ड देने की शक्ति–

संसद के प्रत्येक सदन को किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह सदन का सदस्य हो अथवा बाहरी व्यक्ति, अपने 'विशेषाधिकारों के उल्लंघन या 'अवमान' के लिए दण्डित करने की शक्ति प्राप्त है। वस्तुतः संसद् की यही शक्ति संसदीय विशेषाधिकारों की आधारशिला है, क्योंकि अपने विशेषाधिकारों के संरक्षण एंव अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए वह इसी शक्ति का प्रयोग करती है।

संसद का कार्य – विधायी प्रक्रिया

संसद का सबसे महत्तवपूर्ण कार्य देश के लिये कानून बनाना है। विधायी प्रक्रिया सदन में एक विधेयक के रूप में प्रारम्भ की जाती है।

साधारण विधेयक (अनु0 107)

अनु0 107 के अनुसार साधारण विधेय संसद के किसी सदन में पेश किये जा सकते है। धन विधेयक तथा अन्य वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किये जा सकते है। कोई विधेयक जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्पति की अनुमति के लिये भेजा जाता है, राष्ट्पति की अनुमति के पश्चात् कोई विधेयक अधिनियम बनता है। साधारण विधेयक का दोनो सदनों में तीन बार वाचन होता है–

- प्रथम वाचन मे मन्त्री सदन की अनुमति से विधेयक को सदन मे पेश करता हैं। इस समय जब तक कि विधेयक विवादस्पद न हो, इस पर कोई विचार विमर्श नही किया जाता है।
- द्वितीय वाचन की स्थिति मे सदन प्रस्तुत विधेयक पर विचार विमर्श करता है। इसके दो भाग होते है–
  पहले, विधेयक के उपबन्धों पर सामान्य बहस और दूसरा, विधेयक के खण्ड–उपखण्ड पर विचार–विमर्श सामान्य बहस तब होती है जब विधेयक का प्रस्तावक सदन के समक्ष विचार करने का प्रस्ताव रखता है, अथवा विधेयक को प्रवर समिति को विचार करने के लिए सौप दिया जाता है। प्रवर समिति की रिर्पोट के बाद विधेयक के एक–एक खण्ड पर विस्तार पूर्वक विचार किया जाता है और संशोधन भी किये जा सकते है। इस प्रकार के विचार विमर्श के उपरान्त विधेयक पर मतदान होता है।
- तृतीय वाचन मुख्यता औपचारिक होता है। इस वाचन में विधेयक मे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नही किया जाता है। सामान्य विचार विमर्श के बाद विधेयक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है।

एक सदन द्वारा पारित किये जाने पर विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाता है। दूसरे सदन द्वारा भी उक्त प्रक्रिया पुनः दोहरायी जाती है। दूसरे सदन यदि विधेयक को एक मत से पारित कर देता है तो विधेयक राष्ट्पति की अनुमति के लिये भेजा जाता है। राष्ट्पति की अनुमति मिल जाने पर विधेयक कानून का रूप ले लेता है।

यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक पर असहमती है तो विधेयक पारित नही समझा जायेगा। इस स्थिति में संविधान दोनो सदनों की संयुक्त बैठक का उपबन्ध करता है।

<u>सदनों की संयुक्त बैठक (अनु0 108) :</u>

अनु0 108 के अनुसार जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन–

01.विधेयक अस्वीकृत कर देता है,
02.विधेयक मे किये जाने वाले संशोधनों पर दोनो सदनो में असहमति है, या

03.जब दूसरे सदन में विधेयक पारित किये बिना छः मास से अधिक समय बीत चुका हो तो राष्ट्रपति दोनो सदनो की संयुक्त बैठक बुला सकता है।

यदि लोकसभा के विघटन के कारण विधेयक व्यपगत हो गया तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नही बुला सकता है। यदि विद्यटन राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक की सूचना दे देने के पश्चात् होता है तो ऐसी बैठक विद्यटन के बावजूद भी होगी।

धन विधेयक (अनु 110) उत्सादन –समाप्त

अनु0 110 (1) के अनुसार धन विधेयक ऐसा विधेयक है जो निम्नलिखित विषयों मे सभी या किसी एक से सम्बन्ध रखता है–

01). किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलना या विनियमन करना;

02). भारत सरकार द्वारा उधारा लेने का विनियमन करना या प्रत्याभूत करना;

03). भारत की संचित निधि अथवा आकस्तिमा विधि की अभिरक्षा और उसमे धन डालना या उसमें से निकालना;

04). भारत की संचित निधि मे धन का विनियोग करना;

05). किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय द्योषित करना;

06). भारत की संचित निधि के या भारत के लोक–लेखे के मद्धे धन प्राप्त करना, ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी या संध या राज्य के हिसाब का लेखा परीक्षण करना;

07). उपखण्ड (1) सं (6) तक में उल्लेखित विषयों मे से किसी का आनुषंगिक कोई विषय का उपबन्ध करना ।

किन्तु कोई विधेयक इस कारण धन विधेयक नही समझा जायेगा कि वह जुर्मानो या अन्य अर्थदण्डो के आरोपण का अथवा लाइसेन्सों के लिए शुल्को का अथवा की गई सेवाओ के लिए शुल्को का उपबन्ध करता है, या किसी स्थनीय प्रधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनो के लिए किसी कर के लगने, परिहर करने, बदलने या विनियमन करने का उपबन्ध करता है। अनु0 110(2)

यदि कोई ऐसा प्रश्न उठाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नही, तो उस पर लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। अनु 110(3)

जब कोई धन विधेयक राज्यसभा या राष्ट्रपति को अनुमति के लिये रखा जाता है तो उस पर लोक सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह धन विधेयक है। **अनु 110 (4)**

<u>धन विधेयक को पारित करने की विशेष प्रक्रिया (अनु0 109)</u>

धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोकसभा में प्रस्तावित नही किया जा सकता है। वस्तुतः यह मंत्रीमण्डल की ही सिफारिश होती है किन्तु किसी कर को हटाने या समाप्त करने वाले संशोधन को प्रस्तावित करने के लिये इस खण्ड के अन्तर्गत राष्ट्रपति को सिफारिश की आवश्यकता नही होती है। **अनु0 117 (1)**

धन विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् उसकी सिफारिश **(राज्यसभा की सिफारिश)** के लिए भेजा जाता है। राज्य सभा को अपनी सिफारिश के साथ धन विधेयक को 14 दिन के भीतर लोक सभा को वापस कर देना चाहिए। यदि राज्य सभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को वापिस नही करती है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित समझा जायेगा जिसमें कि लोकसभा ने उसकसे पारित किया था। लोकसभा राज्यसभा की सभी सिफारिशो या कुछ सिफारिशो को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

धन विधेयक के सम्बंध में लोक सभा को अन्तिम शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा को किसी भी धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने का कोई अधिकार नही प्राप्त है।

धन विधेयक को राष्ट्रपति सदनों को पुनर्विचार के लिए नही लौटा सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है।

धन विधेयक और वित्त विधेयक में अन्तर –

धन विधेयक वह विधेयक है जो केवल अनु0 110(1) में उल्लेखित विषयों में किसी अन्य रूप से सम्बंधित होता है। वित्त विधेयक अनु0 110 में उल्लेखित विषयों के साथ–साथ अन्य विषयों से भी सम्बंधित रहता है। इस तरह वित्त विधेयक एक ऐसा धन विधेयक होता है जिसमे साधारण विधान के उपबन्ध भी जोड़ दिये जाते है। प्रत्येक धन

विधेयक वित्त विधेयक होता है। किन्तु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। किन्तु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नही होता है।

धन विधेयक और वित्त विधेयक में दो बाते एक समान है पहला यह कि वित्त विधेयक मे दो बाते एक समान है पहला यह कि वित्त विधेयक भी धन विधेयक की ही भॉति केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और दूसरा यह कि वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना सदन में पेश नही किया जा सकता है। अन्य सभी बातों में वित्त विधेयक एक साधारण विधेयक के समान ही है। इसे दोनो सदनो से पारित होना चाहिए। राज्य सभा इसमें संशोधन या अस्वीकृत कर सकती है यदि दोनो सदनों में वित्त विधेयक के ऊपर कोई असहमति है तो उसे सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर निपटाया जा सकता है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुर्नविचार के लिए सदनों को लौटा सकता है।

वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में प्रकिया (अनु 112–117)

वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) – अनु0 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध मे संसद् के दोनो सदनो के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण रखवायेगा। बजट में भारत सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है।

बजट में अनुमानित व्यय दो मदो मे दिखाया जाता है–

क) भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, और

ख) भारत की संचित निधि से किये जाने वाले अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियॉ।

राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय में भी अन्तर किया गया है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित है–

1. राष्ट्रपति की उपलब्धियॉ और भत्ते;
2. दोनां सदनो के पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते,
3. ऐसे ऋण जिनका दायित्व भारत सरकार पर है,
4. उच्चतम न्यायाधीशो, भारत के नियंत्रण – महालेखा परीक्षक या फेडरल न्या0 में न्यायाधीशो के वेतन, भत्ते और निवृत्ति वेतन,
5. किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय, आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान के लिए आपेक्षित कोई राशि,

6. इस संविधान द्वारा या संसद् द्वारा भारित द्योषित किया गया कोई अन्य व्यय।

भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों पर मतदान का प्रतिषेध

अनु 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बन्धित प्राक्कलन संसद में मतदान के लिए पेश नही किये जायेगे। किन्तु संसद में मतदान के लिए खर्चे की प्रत्येक मद पर बहस का अधिकार होगा। अन्य से सम्बंधित खर्चे लोकसभा के समक्ष अनुदान की मॉग के रूप में पेश किये जाते है। लोकसभा किसी मॉग के रूप मे पेश किये जाते है। लोकसभा किसी मॉग को स्वीकार कर सकती है, कम कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती हैं। किसी भी अनुदान की मॉग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नही की जा सकती है।

विनियोग विधेयक – अनु0 114

जब तक विनियोग विधेयक नही पारित कर दिया जाता है, भारत की संचित निधि से कोई धनराशि नही निकाली जा सकती है। अतएव लोकसभा द्वारा अनुदान की मॉग पारित कर देने के बाद एक विनियोग विधेयक पेश किया जाता है जिसमे लोकसभा द्वारा अनुमोदित सभी अनुदानों तथा भारत की संचित निधि या भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन के विनियोग का उपबन्ध रहता है। विनियोग विधेयक में ऐसा कोई संशोधन प्रस्तावित नही किया जायेगा जो किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने या उसके साक्ष्य को बदलने या भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि मे फेरफार करने का प्रयास रखने वाला हो।

अनुपूरक अनुदान – यदि विनोयग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किये जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पायी जाती है या वर्ष के बजट में उल्लेखित न की गई किसी नयी सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवायेगें। अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनो के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है।

लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादनुदान –

जैसे कि विदित है, विनियो विधेयक के पारित होने के बाद ही भारित संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है। किन्तु सरकार को इस विधेयक को पारित होने से पूर्व ही रूपयों की आवश्यकता हो सकती है। **अनु0 116 (क)** के अर्न्तगत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। जिसके बारे में बजट में विवरण देना सरकार के लिए सम्भव नही है।

अनु0 116 (ख) के अन्तर्गत जब कि सेवा की महत्ता के लिए अप्रत्याशित मॉग की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है जिसका बजट में प्रावधान नही किया गया है।

अनु 116 (ग) के अन्तर्गत लोकसभा को किसी विशेष प्रयोजन के लिए अपवादनुदान मंजूर करने की शक्ति प्राप्त है जो किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का कोई भाग नही होता है।

साधारण प्रक्रिया के नियम –

संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन प्रक्रिया के तथा अपने कार्य संचालन के लिए, विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। **अनु0 118(1)**

अनु0 118 का खण्ड (2) यह उपबन्धित करता है जब तक यह नियम नही बनाये जाते है तब तक इस संविधान के प्रारम्भ के ठीक पहले भारत डोमीनियन के विधान मण्डल के सम्बंध में प्रव्त्त प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश ऐसे उपान्तरणो और अनुकुलनों के अधीन रहते हुये संसद के संबंद्ध में प्रभावी होगें जिन्हे, यथास्थिति , राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष उनमें करे।

अनु0 118 का खण्ड (3) राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् दोनो सदनों की संयुक्त बैठकों से सम्बन्धित और उनमें परस्पर संचार से सम्बन्धित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

अनु0 118 का खण्ड (4) दोना सदनो की संयुक्त बैठक में लोक सभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खण्ड (3) के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारण किया जाए।

अनु0 119 के अनुसार संसद विधि द्वारा प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य–संचालन का विनियमन कर सकती है।

अनु0 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा–

संसद का कार्य हिन्दी या अंग्रेजी में किया जायेगा, परन्तु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी सदस्य को, जो उक्त भाषाओं में अपनी अभिव्यक्ति नही कर सकता है, अपनी मातृभाषा में संसद को सम्बोधित करने की आज्ञा दे सकता है।

संसद मे चर्चा पर निर्बन्धन–

अनु0 121 संसद् में उच्चतम न्या0 या उच्च न्या0 के किसी न्यायाधीश के अपने कर्त्तव्य के पालन में किये गये आचरण के विषय में प्रतिषेध करता है, सिवाय उस दशा मे जब कि उपबन्धित रीति से हटाने का संकल्पन लाया गया हो।

न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जॉच का निषेध–

अनु0 122 यह उपबन्धित करता है कि किसी प्रक्रिया में किसी कथित अनियमितता के आधार पर संसद की कार्यवाही की विधिमान्यता पर कोई आपत्ति नही की जा सकती है।

संसद का कोई पदाधिकारी या सदस्य, जिसको संविधान के अधीन संसद की प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की या व्यवस्था करने की शक्ति प्राप्त है, उन शक्तियों के प्रयोग के विषय के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नही होगा।

राज्य का विधानमण्डल (अनु 168–212)

अनुसार 168 संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल का उपबन्ध है। प्रत्येक राज्य का विधानमण्डल राज्यपाल तथा एक या दो सदनों को मिलाकर बनता है। राज्य में विधानमण्डल या तो एक सदनीय होता है या दो सदन वाला। आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र , कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में दो सदनो वाला विधान मण्डल है। और अन्य राज्यों में एक सदन वाला विधान मण्डल है जिसे विधानसभा कहते है। जहॉ किसी राज्य में दो सदन है वह एक का नाम विधान परिषद और दूसरें का नाम विधानसभा है।

अनु0 169 के अधीन संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित कर देती

है। ऐसी कोई विधि अनु0 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नही समझी जायेगी।

सदनों का गठन

विधान सभा की रचना –

विधान सभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। राज्य से चुनाव क्षेत्रों के व्यस्क मतधिकार के आधार पर सीधे मतदान द्वारा विधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक चुनाव–क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर ही सदनों में सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। उस जनसंख्या का निर्धारण साधारणतया गत जनगणना के आधार पर ही किया जाता है। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्य में विधान सभा की सदस्य–संख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन किया जायेगा। अनु0 332 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर राज्य में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए राज्य की विधान सभा में उनकी सदस्य संख्या निर्धारित की जायेगी। अनु0333 के अधीन यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ऐंग्लो इंण्डियन जाति को प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व नही मिला है तो वह उक्त समुदाय के एक सदस्य को नामांकित कर सकता है। राज्य के विधान सभा की कार्यवधि 05 वर्ष की होती है, किन्तु यदि राज्यपाल चाहे तो निश्चित समय से पूर्व भी विधान सभा भंग कर सकता है। राज्य विधान सभा का उपर्युक्त कार्यकाल, जब आपात की घ्योषण हो, संसद द्वारा विधि बनाकर 01 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। किन्तु आपात की सम्पत्ति पर 06 माह की अवधि से अधिक नही बढ़ाया जा सकता जा सकता है। **अनु0** (172)

विधान परिषद् की संरचना –

अनु0 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य के विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नही होगी। किन्तु किसी भी दशा में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम ना होगी।

संसद विधान परिषद के गठन के सम्बन्ध में कानून बना सकती है, किन्तु जब तक संसद ऐसा न करे, विधान परिषद का गठन निम्न प्रकार से होगा–

किसी राज्य की विधान परिषद की कुल संख्या के –

क) 1/3 सदस्य नगर–पालिकाओं , जिला परिषदों तथा स्थानीय निकायो के सदस्यों के निर्वाचन मण्डल द्वारा चुने जायेंगे यह जैसा संसद निश्चित करे।

ख) 1/12 सदस्य कम से कम 3 साल पूर्व के स्नातकों के निर्वाचक मण्डल द्वारा चुने जायेगे।

ग) 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षा–संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से सेवारत शिक्षको के निर्वाचक मण्डल द्वारा चुने जायेगे।

घ) 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन लोगों में से चुने जायेगे जो विधान सभा के सदस्य नही है।

ड़) शेष खण्ड (5) के उपबन्धों के अनुसार राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जायेगे जिन्हे साहित्य, विज्ञान , कला, सहकारिता आन्दोलन तथा सामाजिक सेवा के बारे में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है।

राज्य की विधान परिषद भी स्थायी सभा है। इसे भंग नही किया जा सकता है। किन्तु इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद सेवा–निवृत्त होते रहेंगे।

<u>सदस्यता के लिए अर्हता – अनु0 173</u>

राज्य विधान मण्डल के सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति में निम्न अर्हताओं का होना आवश्यक है–

01.भारत का नागरिक हो,

02.विधान सभा के लिए 25 वर्ष की आयु तथा विधान परिषद की सदस्यता के लिए 30 वर्ष हो,

03.ऐसी अर्हताएॅ जिन्हे संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।

<u>सदस्यता के लिए निर्रहताएॅ –</u>

अनु0 191 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति विधानमण्डल के सदस्य चुने जाने के योग्य नही है–

01.वह व्यक्ति जो केन्द्र या राज्य के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण करता है,

02.यदि वह विकृत्तचित्त है,

03.यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है,

04. यदि वह भारत का नागरिक नही है या किसी विदेशीराज्य की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर चुका है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को स्वीकार किये हुये है,

05. यदि वह संसद् के किसी कानून के अधीन अयोग्य द्योषित कर दिया गया है।

संसद द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधि0 1951 के अन्तर्गत सदस्य चुने जाने हेतु आवश्यक योग्यताओं और अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है।

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता –

अनु0 191 में खण्ड (2) जोड़कर यह उपबन्धित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दसवी अनुसूची मे उल्लेखित किसी निरर्हता को प्राप्त कर लेता है तो सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

दसवी अनुसूची के अनुसार विधान सभा का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है उसकी सदस्यता निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो जायेगी–

01. यदि उस सदस्य ने ऐसे राजनीति दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है, या

02. सदन का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन के पश्चात् किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य हो जाता है,

03. सदन का कोई नाम निर्देशित सदस्य सदस्यता ग्रहण के पश्चात् 6 मास की समाप्ति पर किसी राजनीतिक दल मे सम्मिलित हो जाता है,

04. ऐसे राजनीतिक दल द्वारा किसी निदेश के विरूद्ध या पूर्व अनुज्ञा के बिना सदन मे मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और मतदान करने या विरत रहने को राजनीतिक दल ने 15 दिनों के भीतर माफ नही किया है।

राज्य विधान मण्डल का कार्य– विधान प्रकिया–

जो कार्य संसद् को केन्द्र स्तर पर करने होते है वही कार्य राज्य विधान मण्डल को राज्य के स्तर पर करने होते है। जिनका विस्तृत वर्णन आगे किया जा चुका है। राज्य के विधान मण्डल के अनु0 के अनुसार निम्नलिखित कार्य है–

साधारण विधेयक (अनु0 197 तथा अनु0 196)

धन विधेयक (अनु0 199)

UNIT – II

संवैधानिक विधि –2

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

01. संसद के गठन पर प्रकाश डालिये।

02. राज्यसभा की संरचना, गठन एंव उसके कार्यकाल की विवेचना कीजिए।

03. लोकसभा की संरचना, गठन एंव उसके कार्यकाल की विवेचना कीजिए।

04. संसद के सदस्यों की अर्हताओं एंव निर्हरताओं की विवेचना कीजिए।

05. राज्यों की विधान सभाओं एंव विधान परिषदों के गठन पर प्रकाश डालिये।

06. संसदीय विशेषाधिकारों के विषय में विवेचना कीजिए।

07. संसद के विधायी कार्यो की विवेचना करते हुये, धन विधेयक ,वित्त विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण, लेखानुदान, विनियोग विधेयक के विषय में प्रकाश डालिये।